341

संख्याः–जी0आई0– 2800 /7–1–2013–600(3723)/2011.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 20 सितम्बर, 2013.

विषयः– **जनपद–पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 16.00 सतगढ़ से किमी0 32.00 बंदरलीमा तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 24.820 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 580/1जी–3343 (पिथौ0) दिनांक 30–08–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 16.00 सतगढ़ से किमी0 32.00 बंदरलीमा तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 24.820 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/61/2011/एफ0सी0/49 दिनांक 27–08–2013 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. **वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम–अमकोट, पट्टी, ख्वाकोट, उप तहसील, कनालीछीना, जनपद–पिथौरागढ़ में 49.640 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।**
3. **क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित 49.640 हे0 ग्राम–अमकोट में सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा, जिसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित की जायेगी।**
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, सीमा सड़क संगठन द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।

7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रत्यावर्तित किये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
10. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। मोटर मार्ग के ढलान की स्थिरता एवं संस्थापन तथा साईड ड्रैन/क्रास ड्रैन के रख–रखाव का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
14. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उक्त आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रमाण–पत्र निर्गत होने के उपरान्त ही प्रयोक्ता एजेन्सी को वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पहाड़ी काटने/तोड़ने में विस्फोटक (explosives) का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सड़क निर्माण में लगने वाले पत्थरों को आस–पास के वन क्षेत्रों से नहीं निकाला जायेगा एवं खनन कार्य भी नहीं किया जायेगा।
21. प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से होने वाले भूस्खलन की सुरक्षा हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उचित उपाय के कार्य किये जायेंगे।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यो के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मक डिस्पोजल की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं मक डिस्पोजल कार्य योजना अनुसार किया जायेगा।
23. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समय–समय पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों व दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या–260/वि.अनु. 3/2002 दिनांक 15–2–2002 के क्रम में सीमा सड़क संगठन को वन भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–जी0आई0–2866 /7–1–2013–600(3723)/2011. दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कैम्प कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. मुख्य अभियन्ता, हीरक प्रोजेक्ट, सीमा सड़क संगठन, चम्पावत।
7. मेजर कमान अधिकारी, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ), सीमा सड़क संगठन द्वारा 56–सेना डाकघर, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।